Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 SHISRRJ | Volume 5 | Issue 4 | ISSN : 2581- 6306

वर्तमान शिक्षा प्रणाली के उच्च शिक्षा स्तर पर मानवाधिकारों के मूल तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. आलोक कुमार मिश्र
शोध निर्देशक,(शिक्षक-शिक्षा विभाग), नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज उ. प्र.
विजया रानी वर्मा
शोध-छात्रा,(शिक्षक-शिक्षा विभाग), नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज उ. प्र.

Article Info
Volume 5, Issue 4
Page Number : 29-34

Publication Issue :
July-August 2022

Article History
Accepted : 01 July 2022
Published : 20 July 2022

सारांश :

प्रस्तुत शोध अध्ययन 'वर्तमान शिक्षा प्रणाली के उच्च शिक्षा स्तर पर मानवाधिकारों के मूल तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन' है। शोध अध्ययन में जनसंख्या के रुप में लखनऊ जनपद के शहरी एवं ग्रामीण उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों को जनसंख्या माना गया है। न्यादर्श के रूप में लॉटरी विधि से 20 उच्च शिक्षा स्तर पर विद्यालयों का चयन किया गया इसमें से कुल 240 छात्र एवं छात्राओं का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया। सांख्यिकी विधि के रूप में मानक विचलन, मध्यमान, एवं टी-अनुपात का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध में वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया और उपकरण के रूप में शोधार्थिनी द्वारा डॉ.विशाल सूद और डॉ. आरती आनंद द्वारा निर्मित 'मानवाधिकार जागरूकता परीक्षण मापनी' (H.R.A.T.) का प्रयोग किया है। निष्कर्ष में प्राप्त होता है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

प्रमुख शब्दावली : उच्च शिक्षा स्तर, मानवाधिकार, शिक्षा प्रणाली, विद्यार्थियों, तुलनात्मक अध्ययन आदि।

प्रस्तावना :

मानव अधिकार और शिक्षा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। मानव अधिकारों को समाज में स्थापित करने के लिए यह जरूरी है कि मानवीय गरिमा और प्रतिष्ठा के बारे में जन-जागरूकता लाई जाए। जागरूकता और चेतना के लिए शिक्षा ही सर्वाधिक उपयुक्त साधन है इस दृष्टि से शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत ही मानावाधिकारों की शिक्षा भी शामिल है।

महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि स्वंतत्रता प्राप्ति के बाद मूल्यों पर आधारित शिक्षा नहीं दी गई तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा? उनके शब्द इस प्रकार है- हमें याद रखना चाहिए लोग स्वंतत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद सुख-शान्ति की तलाश न करने लगे। जब हम स्वंतत्र हो जाते है तो चुनाव व्यवस्था की खामियां, अन्याय, अमीर वर्गों का आंतक तथा प्रशासन को चलाने का दायित्व भी हमारे सामने आना निश्चित है। लोग यह महसूस करने लगे कि अंग्रेजों के राज में अधिक न्याय था, बेहतर प्रशासन था, शांति थी और स्वंतत्रता के बाद के दिनों की तुलना में पहले के प्रशासकों में बहुत अधिक ईमानदारी थी।

मानवाधिकार विश्व की वह आधारशिला है जिसे हमारे वैदिक ऋषियों एवं मुनियों द्वारा हमें वरदान स्वरुप प्रदान किया गया है। मानवाधिकार हमारे संपूर्ण जीवन में स्वतंत्रता एवं समानता और उसके सम्मान व प्रतिष्ठा से संबंधित होता है। यह अधिकार संवैधानिक एवं प्राकृतिक दोनों ही रूपों में हमें प्राप्त है।

अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है मानव अधिकार सभी व्यक्तियों के समानता में जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है और सभ्य समाज में मानवीय मूल्यों की जिम्मेदारी का अहसास कराता है। भारतीय संविधान में मानव अधिकार को संरक्षण दिया गया है। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को विकसित प्रजातांत्रिक युग में भारतीय संविधान लागू हुआ, उस समय विश्व स्तर पर मानवाधिकारों की चर्चा प्रारंभ हो चुकी थी। भारतीय संविधान में भाग 3 में मूल अधिकारों के तहत मानवाधिकार की चर्चा है। भारत में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा जिले में मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की गई है। पिछले कुछ वर्षों में मानवाधिकार शिक्षा, शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का अभिन्न अंग बन गई है। यह विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा व दूसरे क्रियाकलापों के माध्यम से दृष्टिगोचर हो रही है। नई शिक्षा नीति 1986 के संशोधित स्वरूप में 1992 में भी इस पर बल दिया गया है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मूल मंत्र यह है कि एक निश्चित स्तर तक हर विद्यार्थी को बिना जात,

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

पात, धर्म या लैंगिक भेदभाव के लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। अतः उपयुक्त शिक्षण विधि पाठ्यचर्या एवं अध्यापक मानवाधिकार शिक्षा हेतु एक साधन के रूप में कार्य करते हैं।

नीड, डॉ. मिलानी (2006), छात्रों के साथ विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता, विभिन्न कक्षा विषय में शिक्षा शास्त्र के प्रयोग, में निष्कर्ष पाया कि शिक्षक छात्रों के विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता में प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। वलाई, डॉ. (2007), मानवाधिकार एवं इंडोनेशिया के खनन क्षेत्र एक आधारभूत अध्ययन" में शोधकर्ता ने इंडोनेशिया के खदान में काम करने वाले व्यक्तियों की मुख्य मानव अधिकारों का विश्लेषण किया एवं कल-कारखानों के ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया जिसमें विकास किया जा सके। ए. सुहाशिनी (2003), "मानवाधिकार एवं कर्तव्य शिक्षा पर अध्ययन" किया और निष्कर्ष पाया कि सुसंगत एवं व्यवस्थित स्वास्थ्य समाज को लाना शिक्षा का कार्य है। लेखक ने अवलोकन किया कि व्यक्ति को उनके अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। शर्मा, मनीषा (2018) ने अपने शोध 'शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन' में यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता हैं चाहे वे निजी विद्यालयों में कार्यरत हो या किसी सरकारी विद्यालयों में। सिंह, कुमारी रजनी (2018) ने 'भारत में मानवाधिकारों की परिकल्पना एवं वास्तविक प्रासंगिकता का अध्ययन' किया, अपने लेख में उन्होंने यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि मानवाधिकार भारत में सभी नागरिकों को उपलब्ध है। मानवाधिकार का प्रकार भेदभाव का अंत है। आर्य, संगीता (2020) ने उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में मानवाधिकार के विकास पर माड्यूल शिक्षण के प्रभाव का अध्ययन किया, इन्होंने शोध विधि के रूप में प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया तथा न्यादर्श के रूप में जयपुर शहर के सरकारी व निजी विद्यालय के 120 विद्यार्थियों को सम्मिलित किया। निष्कर्ष के रूप में परंपरागत विधि तथा माड्यूल शिक्षण विधि के पश्चात् मानवाधिकार विकास में पर्याप्त अंतर पाया गया।

शोध का औचित्य :

बालकों को शिक्षित करने का सर्वप्रथम दायित्व माता-पिता, समाज एवं शिक्षक का होता है। शिक्षक बालकों में सावेगिंक नियंत्रण एवं सामाजिक परिपक्वता का निर्माण कर सकता है। शोधार्थिनी ने मानवाधिकार के प्रति जागरूकता ज्ञात करने का प्रयास किया है। समाज में बढ़ती हुई शोषण प्रवृत्ति, नैतिक पतन, चारित्रिक पतन, स्वार्थ प्रवृत्ति एवं सरकारी गलत नीतियां लोगों में आक्रोश उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण मानव ही मानव का दुश्मन बन गया है। उनका विश्वास कानून एवं न्याय व्यवस्था से टूटता नजर आ रहा है जो हमारे समाज एवं देश के लिए हितकर नहीं है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि समाज के लोगों को जागृत किया जाए समाज में व्याप्त असमानता को दूर करके, सामाजिक समता एवं न्याय की स्थापना में मदद पहुंचाने और लोकतंत्र की बुनियादी मान्यताओं को सुदृढ़ बनाने तथा अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने, मानव कल्याण एवं विकास की रूपरेखा को पूर्ण करने हेतु प्रस्तुत शोध मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाने नागरिक अधिकारों तथा मानवीय मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन में न केवल सार्थक सिद्ध होगा बल्कि मानवीय गरिमा को उत्पन्न करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

समस्या कथन :

प्रस्तुत शोध समस्या "वर्तमान शिक्षा प्रणाली के उच्च शिक्षा स्तर पर मानवाधिकारों के मूल तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन" है।

अध्ययन के उद्देश्य : प्रस्तुत शोध के निम्न उद्देश्य है।

- ग्रामीण क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- शोध परिकल्पना : प्रस्तुत शोध परिकल्पना निम्नलिखित हैं।
- ग्रामीण क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सीमांकन :

शोधार्थिनी ने समय एवं धन को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत शोध को लखनऊ जनपद के 20 उच्च शिक्षा स्तर के शैक्षिक संस्थानों तक ही सीमित रखा है। प्रस्तुत अध्ययन उच्च शिक्षा स्तर के विद्यार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता तक सीमित रखा गया है। प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत 240 उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एव छात्राओं का चयन किया गया है।

शोध विधि :

प्रस्तुत शोध की समस्या के अध्ययन के लिए शोधार्थिनी ने वर्णनात्मक विधि के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श :

प्रस्तुत शोध में शोधार्थिनी ने जनसंख्या के रुप में लखनऊ जनपद के 10 शहरी एवं 10 ग्रामीण क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर विद्यालयों में अध्ययन करने वाले कुल 240 छात्र एवं छात्राओं को जनसंख्या एवं न्यादर्श के रूप में चयनित किया है।

उपकरण :

उच्च शिक्षा स्तर पर मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करने के लिए शोधार्थिनी ने डॉ.विशाल सूद और डॉ. आरती आनंद द्वारा निर्मित 'मानवाधिकार जागरूकता परीक्षण मापनी' (H.R.A.T.) का प्रयोग किया है।

सांख्यिकीय प्रविधि :

शोधार्थिनी द्वारा परिकल्पनों के आधार पर प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए t-test, मध्यमान, मानक विचलन तथा द्विमार्गीय प्रसरण विश्लेषण आदि सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया गया हैं।

प्रदत्तों का विश्लेषण, व्याख्या एवं परिणाम :

उद्देश्य सं. .01, ग्रामीण क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

H.01, ग्रामीण क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

प्रस्तुत शोध का प्रथम उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमान, प्राप्तांकों का तुलनात्मक अध्ययन करना है।

सारणी संख्या .01

ग्रामीण क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-अनुपात का मान ,

क्र.सं.	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-अनुपात	सार्थकता स्तर
1	छात्र	60	60.61	10.97	0.658	0.05 df=118
2	छात्राओं	60	59.25	11.78		

0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक।

सारणी संख्या .01 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनों समूहों का मध्यमान क्रमशः 60.61 एवं 59.25 है तथा मानक विचलन क्रमशः 10.97 एवं 11.78 है। टी-अनुपात का मान 0.658 है जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है। मुक्तांश 118 के साथ टी का मान 1.962 है। इससे पता चलता है कि छात्रों एवं छात्राओं के मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमान में सार्थक अंतर नहीं है, अतः प्रस्तुत अध्ययन की शून्य

परिकल्पना .01 'ग्रामीण क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। यह परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

परिणाम : तालिका संख्या .01 से ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर के छात्राओं की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है अतः सारणी संख्या .01 के अनुसार टी के मान से ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर के छात्राओं एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर के छात्रों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता समान पाई जाती है। जिसका प्रमुख कारण यह हो सकता है कि शैक्षिक नीतियां, शैक्षिक गतिविधियां, शिक्षकों का दायित्व, माता-पिता की बच्चे की शिक्षा के प्रति सक्रियता एक समान है। खुला समाज मिलने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राएं प्रत्येक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं जिससे उनमें सहयोग, सौहार्द एवं नैतिक मूल्यों का विकास होता है जिसके कारण वे मानवाधिकार के प्रति जागरूक होते हैं। प्राप्त परिणाम की पुष्टि पाठक योगेश (2011), ने भी ग्रामीण क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में पर्यावरण जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं प्राप्त किया है ।

उद्देश्य सं.02, शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

H,02, शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

प्रस्तुत शोध का द्वितीय उद्देश्य शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमान, प्राप्तांकों का तुलनात्मक अध्ययन करना है।

सारणी संख्या .02

शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-परीक्षण का मान ,

क्र.सं.	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-अनुपात	सार्थकता स्तर
.1	छात्र	60	56.883	9.807	1.544	0.05 df=118
.2	छात्राओं	60	59.983	12.065		

0.05 स्तर पर सार्थक।

सारणी संख्या .02 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दोनों समूहों का मध्यमान क्रमशः 56.883 एवं 59.983 है तथा मानक विचलन क्रमशः 9.807 एवं 12.065 है। टी का मान 1.544 है जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है। मुक्तांश 118 के साथ टी का मान 1.962 है। इससे पता चलता है कि छात्रों एवं छात्राओं के मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमान में सार्थक अंतर नहीं है। अतः प्रस्तुत अध्ययन की शून्य परिकल्पना .02 'शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। यह परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

परिणाम : तालिका संख्या .02 से यह स्पष्ट होता है कि शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं एवं शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर प्राप्त नहीं होता है। अतः सारणी संख्या .02 के अनुसार टी के मान से ज्ञात होता है कि शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं एवं शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता समान पाई गई है, जिसका संभावित कारण यह हो सकता है कि शहरी क्षेत्र में सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा समय-समय पर सेमिनार, कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक, विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम व शिविरों द्वारा मानव अधिकार के प्रति जागरूकता के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है साथ ही शहरों में निवास करने वाले छात्र छात्राओं के आधुनिक सामाजिक वातावरण प्राप्त होने के कारण दोनों ही समूहों में मानवाधिकार के प्रति पर्याप्त सक्रियता देखी जा सकती है इस बात की पुष्टि सिंह, धर्मेंद्र कुमार (2018) के अध्ययन उच्च शिक्षा स्तर के प्रतिभाशाली शहरी छात्र-छात्राओं में सार्थक अंतर नहीं है से की जा सकती है।

उद्देश्य सं.03, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

H.03, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्यनरत् छात्रों एवं ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

प्रस्तुत शोध का तृतीय उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर अध्ययनरत् छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमानों, प्राप्तांकों का तुलनात्मक अध्ययन करना है।

सारणी संख्या .03

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-अनुपात का मान

क्र.सं.	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-अनुपात	सार्थकता स्तर
.1	छात्र	120	59.792	11.228	0.022	0.05 df=238
.2	छात्राओं	120	59.758	12.362		

0.05 स्तर पर सार्थक।

सारणी संख्या .03 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दोनों समूहों का मध्यमान क्रमशः 59.792 एवं 59.758 है तथा मानक विचलन क्रमशः 11.218 एवं 12.362 है। टी का मान 0.022 है जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है। मुक्तांश 238 के साथ टी का मान 1.962 है। इससे पता चलता है कि छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमान में सार्थक अंतर नहीं है, अतः शून्य परिकल्पना .03 'ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। यह परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

परिणाम : सारणी सं. 03 से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर प्राप्त नहीं है, अतः सारणी संख्या .03 के अनुसार टी के मान से ज्ञात होता है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता समान पाई गई है, जिसका संभावित कारण यह हो सकता है कि

आज का युग अपनी शिक्षा अधिकार और कर्तव्यों के प्रति स्वयं को जगाना है। तकनीकी एवं जनसंख्या के साधनों ने सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही नहीं अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी प्रर्याप्त पहुंच बना रखी है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ग समाज आज के समय में जीवन के प्रत्येक पहलुओं के प्रति जागरूक हो गया है और यह बालक बालिका का कर्तव्य के प्रति अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है इस बात की पुष्टि मुछाल, महेश कुमार (2019) के शोध अध्ययन से भी किया जा सकता है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के दोनों समूहों का पाठ्यक्रम मे मानवाधिकार सम्बंधित बिन्दुओं में समान रूप से समावेशन हो, या साख्यिकीय त्रुटियां भी हो सकती हैं।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि-

- ग्रामीण क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता से संबंधित टी-परीक्षण का मान 0.658 है। प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर के छात्र एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है।
- शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता से संबंधित टी-परीक्षण का मान 1.544 है। प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर के छात्र-छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता से संबंधित टी-परीक्षण का मान्य 0.022 है। प्राप्त प्रदत्तो के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर के छात्र-छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

शैक्षिक निहितार्थ :

वर्तमान समय में न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व अमानवीय कृत्यों से आहत हैं। विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकार से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन कर समस्या के प्रत्येक वर्ग को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा सकता है मानवाधिकार के माध्यम से आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी बहुत बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। आज भी कुछ प्रमुख क्षेत्र है जिसमें समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है जैसे अशिक्षा, भ्रष्टाचार, न्याय व्यवस्था, जनसंख्या नियंत्रण, स्वार्थी स्वभाव, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, शोषित वंचित एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित समस्याएं, गरीबी उन्मूलन आदि के निवारण में प्रस्तुत शोध अध्ययन अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इसके साथ-साथ शिक्षाविदों, शिक्षकों, अभिभावकों, मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रीयों आदि के लिए भी यह शोध प्रमुख रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत शोध का लाभ भावी शोधार्थी, शिक्षक, शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान एवं शैक्षिक अधिकारी आदि उपयोग कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

भावी शोध अध्ययन हेतु सुझाव :

- प्रस्तुत शोध अध्ययन केवल लखनऊ जनपद पर किया गया है भावी शोधार्थी किसी अन्य जनपद, राज्य, मंडल पर कर सकते हैं।
- शिक्षकों को चाहिए कि छात्रों को राष्ट्रहित से अवगत कराएं जिससे वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें।
- छात्रों को संवेदनशीलता, सेवा भाव एवं मानवीय मूल्यों की रक्षा का पाठ पढ़ाना चाहिए जिससे वे अपने व्यवसाय, राष्ट्र के प्रति ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ हो सकेंगें।
- प्रस्तुत शोध अध्ययन उच्च शिक्षा स्तर पर किया गया है भावी शोधार्थी माध्यमिक स्तर के शिक्षकों पर शोध कार्य कर सकते हैं।
- प्रस्तुत शोध अध्ययन केवल हिंदी माध्यम के छात्रों एवं छात्राओं पर किया गया है भावी शोधार्थी अंग्रेजी माध्यम में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं पर शोध कार्य कर सकते हैं।
- उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को प्रातः काल की प्रार्थना सभा से मानवीय मूल्यों, नैतिक मूल्यों से अवगत कराना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

- कुमार, मिश्रा डा ॅ. महेन्द्र (2011) शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, एम. एस. यूनिर्वसीटी बुक हाउस प्राइवेट लिमिटेड, पटना, पृष्ठ संख्या 10-30.
- गैरिट, एच. ई. (2006) स्टेटिक्स इन साइकोला ॅजी एण्ड एजुकेशन, सुरजीत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 27-38.
- शर्मा, आर. ए. (2007), शिक्षा अनुसंधान, आर लाल बुक डिपो, मेरठ, पृष्ठ संख्या 29-53,
- भटनागर, सुरेश एवं सक्सेना (2005), शिक्षा मनोविज्ञान, लायल बुक डिपो, मेरठ।
- गैरेट, हेनरी (1999), शिक्षा एवं मनोविज्ञान सांख्यिकीय, कल्याणी पब्लिशर्स।
- कपिल, एच.के. (1998), अनुसंधान विधियां, एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
- शर्मा, डा ॅ. मंजू (2011) शिक्षा के दार्शनिक आधार, एम. एस. यूनिर्वसीटी बुक हाउस प्राइवेट लिमिटेड, पटना, पृष्ठ संख्या 4-33.
- सिंह, डा ॅ. कृष्णबीर (2011) शैक्षिक अनुसंधान की प्रविधियाँ, एम. एस. यूनिर्वसीटी बुक हाउस पाइवेट लिमिटेड, पटना, पृष्ठ संख्या 1-87.
- त्यागी एवं पाठक (2006), शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
- पाण्डेय, रामशकल, शिक्षा दर्शन, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
- ए. सुहाशिनी (2003), मानवाधिकार एवम् कर्तव्य शिक्षा एब्युट्रेक, वाल्यूम 3 नं. 3 नवम्बर, पृष्ठ क्रमांक 31-33,
- नींड डा ॅ. मिलानी (2006), ''छात्रों के साथ विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता, विभिन्न विषयों में शिक्षा शास्त्र के प्रयोग'' जर्नल आ ॅफ रिसर्च इन स्पेशल, एजुकेशन नीड्स, ल्युम-6, नं. 3, पृष्ठ नं. 116-124, नवम्बर 2006,
- राय, पारसनाथ (2007), अनुसंधान परिचय, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
- डा ॅ., सक्सेना स्वरूप (2006), शिक्षा के समाज शास्त्रीय आधार, आर लाल बुक डिपो, मेरठ।
- पाठक, पी. डी. (2005), शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

- सिंह, डा॰. कृष्णबीर (2011), शिक्षा के सिद्धांत, एम. एस. यूनिर्वसीटी बुक हाउस प्राइवेट लिमिटेड, पटना, पृष्ठ संख्या 2-23.